न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
(जिला जोधपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री भवानी सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– 128/2024

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर :– 2024/224

प्रार्थीगण

1. हमीराराम पुत्र उगमाराम निवासी शिवसर तहसील सेखाला जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला जिला जोधपुर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री जेठूसिंह खीची उपस्थित।
2. अप्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक:–28/11/25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है:–

प्रार्थी एकल खातेदारी भूमि ग्राम शिवसर पटवार हल्का लवारन तहसील सेखाला जिला जोधपुर में खसरा नम्बर 476/3 रकबा 0.9551 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 476/4 रकबा 5.3742 हैक्टेयर की भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण के पडौसी खेतों की सीमा के कोई भी पक्के मुटाम मौके पर नही है। खेतों के बीच कोई पक्की माठ व मुटाम नही होने से सभी को अपने–अपने खेतों की सीमा का सही ज्ञान नही है। हर समय पडौसी खातेदार प्रार्थीगण व पडौसी खेत के खातेदारों को सीमा को लेकर परेशान करते रहते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त वादग्रस्त आराजी का सीमा चिन्हों से नाप कर मौके पर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिससे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब मे अंकित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा किसी भी पडौसी खातेदार को पक्षकार नही बनाया गया है मात्र राज्य सरकार को अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है जबकि अप्रार्थी की ओर से प्रार्थी की खातेदारी मे किसी भी प्रकार का मदाखलत नही की गई है। विवाद पडोसी खातेदारो के साथ होने के कारण उन्हे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी राज्य सरकार के विरूद्ध दायर प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उक्त पत्रावली में प्रार्थी द्वारा पडौसी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है और न ही पत्थरगढी से पूर्व वादग्रस्त आराजी की सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्रावली मे प्रस्तुत की गई है। पत्थगरढी आदेश पारित किये जाने से पूर्व पडौसी खातेदारो को सुना जाना एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्रावली मे उपलब्ध होना आवश्यक है।

अतः उक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी [illegible] पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 को अस्वीकार किया जाता है। प्रा[illegible] वादग्रस्त आराजी की सीमाज्ञान रिपोर्ट सहित पडौसी खातेदारो को पक्षकार [illegible] प्रस्तुत करने हेतु स्वंतत्र है।

निर्णय आज दिनांक 28/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.08.27 15:51:35 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर